

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट(योजना)-02/2014-15 79(अख) खाद्य,पटना-15,दिनांक-28/03/16

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना, बिहार ।

विषय :-

मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष 0407 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं०- एस०- 3456001020407, मांग संख्या-18 केन्द्रीय योजनागत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुल 41,00,000 (एकतालीस लाख) रुपये मात्र आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित शीर्ष यथा मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष 0407 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं०- एस०- 3456001020407, मांग संख्या-18 केन्द्रीय योजनागत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि को वित्त विभागीय पत्रांक 738/वि० दिनांक 20.08.2015, पत्रांक 396/वि० दिनांक 24.04.2015 एवं पत्रांक 2561/वि० दिनांक 17.04.1998, में निहित निदेश के आलोक में संलग्न तालिका के अनुसार राशि आवंटित करते हुए आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


क्र०	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आय- व्ययक उपबंध	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए व्यय हेतु आवंटित की जाने वाली राशि
1	2	3	4
1	13 01 कार्यालय व्यय	4104000	41,00,000...
2	13 03 दूरभाष	1664000
3	20 03 प्रशिक्षण व्यय	5322000
4	21 01 सामग्री एवं पत्रियां	55488000
5	28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	112310000
	योग:-	178888000	41,00,000

41,00,000 (एकतालीस लाख) रुपये मात्र


रमाशंकर प्रसाद

2. विभागीय स्वीकृत्यदेश सं०-543 दिनांक 21.03.2016 द्वारा व्यय की स्वीकृति प्राप्त है ।
3. उपर्युक्त आवंटित राशि विषयांकित शीर्ष यथा मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष 0407 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं०-एस० 3456001020407, मांग संख्या-18 केन्द्रीय योजनागत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय होगी ।
4. जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ जिला आपूर्ति कार्यालय/अनुमंडल आपूर्ति कार्यालय को अपने स्तर से उपावंटन करेंगे तथा इसकी सूचना विभाग तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे ।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे ।
7. दिए गये आवंटन में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।
8. विभागीय आदेश, ज्ञापांक-8422 दिनांक 27.10.2015 के आलोक में आवंटन निर्गत किया जा रहा है ।
9. इस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विकरणी विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।


विश्वासभाजन,


सरकार के संयुक्त सचिव ।


ज्ञापांक- प्र०5(2)बजट(योजना)-02/2014-15 79(9311) / खाद्य,पटना-15, दिनांक- 28/03/16
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र०5(2)बजट-(योजना)-02/2014-15 79(9311) / खाद्य,पटना-15, दिनांक- 28/03/16
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र०5(2)बजट-(योजना)-02/2014-15 79(9311) / खाद्य,पटना-15, दिनांक- 28/03/16
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-07/आई० टी० मैनेजर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।

NFSA अन्तर्गत वितरित राशन कार्ड की संख्या के आधार पर जिलों को डाटा संग्रहण, सत्यापन (Cleaning/ deduplication) से संबंधित प्रपत्र मुद्रण हेतु विपत्र कोड सं०-एस० 3456001020407 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु जिलावार आवंटित राशि

क्र० सं०	जिला का नाम	आवंटन राशि
1	2	6
1	पटना अनुयायन	75000 (पचहत्तर हजार)
2	षट्चक्र ग्रामीण	125000 (एक लाख पचीस हजार)
3	भोजपुर	100000 (एक लाख)
4	नालन्दा	100000 (एक लाख)
5	बक्सर	100000 (एक लाख)
6	कैमूर	100000 (एक लाख)
7	रोहतास	100000 (एक लाख)
8	भागलपुर	100000 (एक लाख)
9	बोकारो	100000 (एक लाख)
10	गया	100000 (एक लाख)
11	जहानाबाद	100000 (एक लाख)
12	नवादा	100000 (एक लाख)
13	औरंगाबाद	100000 (एक लाख)
14	अररया	75000 (पचहत्तर हजार)
15	मुंगेर	100000 (एक लाख)
16	खगड़िया	100000 (एक लाख)
17	शेखपुरा	75000 (पचहत्तर हजार)
18	बेगूसराय	100000 (एक लाख)
19	जमुई	100000 (एक लाख)
20	लाखीसराय	75000 (पचहत्तर हजार)
21	मधुबनी	125000 (एक लाख पचीस हजार)
22	खिचर	100000 (एक लाख)
23	वरनगा	125000 (एक लाख पचीस हजार)
24	सीतामकी	125000 (एक लाख पचीस हजार)
25	बैजाली	125000 (एक लाख पचीस हजार)
26	समस्तीपुर	125000 (एक लाख पचीस हजार)
27	प० चम्पारण	125000 (एक लाख पचीस हजार)
28	मुजफ्फरपुर	125000 (एक लाख पचीस हजार)
29	प० चम्पारण	125000 (एक लाख पचीस हजार)
30	सारण	100000 (एक लाख)
31	सीवान	100000 (एक लाख)
32	गोपालगंज	100000 (एक लाख)
33	सहरसा	100000 (एक लाख)
34	मधेपुरा	100000 (एक लाख)
35	सुपौल	100000 (एक लाख)
36	पूर्णिमा	125000 (एक लाख पचीस हजार)
37	कटिहार	125000 (एक लाख पचीस हजार)
38	अररिया	125000 (एक लाख पचीस हजार)
39	किशनगंज	100000 (एक लाख)
कुल योग :-		41,00,000

(एकतासीस लाख रुपये)

सरकार के संयुक्त सचिव

5/11/16